


10655-10728 कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद  
संख्या / ग्यारह-ई0आई0बी0/सूचना/निर्वाचन-14/2013-14/दिनांक:मार्च 06, 14  
समस्त जिला आबकारी अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।  
नोडल अधिकारी।

**विषय:- निर्वाचनों के दौरान शराब के भण्डारण तथा अवैध वितरण के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-565/सी0ई0ओ0-2/लखनऊ, दिनांक 28.02.2014 के अन्तर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2014 में शराब भण्डारण तथा अवैध वितरण के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-76/ Instruction / EEPS/ 2014/ Vol-VIII. दिनांक 25.02.2014 के अन्तर्गत प्रसारित किये गये निर्देशों को एतद्द्वारा संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**संलग्नक-यथोक्त।**

  
( सन्दीप कुमार शर्मा )

अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन),  
मुख्य नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

E.Mad. 6/2014  
1.3.2014

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश  
चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज लखनऊ-226001

संख्या-565/सी0ई0ओ0-2-

लखनऊ

दिनांक: 28 फरवरी, 2014

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

विषय:  
महोदय,

निर्वाचनों के दौरान शराब के भण्डारण तथा अवैध वितरण के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-76/Instructions/EFPS/2014/Vol-VIII दिनांक 25 फरवरी, 2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2014 में आयोग ने शराब के भण्डारण तथा अवैध वितरण के संबंध में निर्देश जारी किये हैं।

3- कृपया आयोग के संलग्न निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)

(रमेश चन्द्र राय)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या: 565(1)/सी0ई0ओ0-2-तददिनांक

प्रतिलिपि अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन), 171 ममफोर्डगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जि. 41B

कृ. पंजावली प्र. प्र. प्र.

01.3.2014

(रमेश चन्द्र राय)

(रमेश चन्द्र राय)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।